लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS-LSBA/Admn/27/18/138 दिनांक: 22.05.18

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०
प्रशासी पदाधिकारी-सह- राज्य समन्वयक
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह- उपाध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
बांका।

विषय: **बांका जिला अंतर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान किए जाने हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।**

प्रसंग: **आपका पत्रांक 621 दिनांक 09.04.2018.**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटर के मानदेय के भुगतान हेतु मार्गदर्शन की मांग की गयी है जो निम्नवत् है :-

प्रासंगिक पत्र में वर्णित डाटा इंट्री ऑपरेटर के चयन एवं मानदेय संबंधी विषय के आलोक में कहना है कि विभागीय पत्रांक 126 दिनांक 03.03.17 में वर्णित कंडिका 1 एवं 6 में डाटा इंट्री ऑपरेटर के चयन एवं मानदेय से संबंधित निदेश को ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 309867 दिनांक 11.05.2017 द्वारा संशोधित किया गया है। अत: डाटा इंट्री ऑपरेटर के चयन एवं मानदेय संबंधी मामलों पर ग्रामीण विकास विभाग के पत्र के अनुरूप ही अग्रेतर कार्रवाई की जानी है।

विभागीय पत्रांक 126 दिनांक 03.03.17 की कंडिका 7 के अंतिम पारा में यह स्पष्ट है कि यदि जिला में IMIS/LSBAके कार्य हेतु कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटरों की संख्या या पारिश्रमिक ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 309867 दिनांक 11.05.2017 (संशोधित) में दिए गए दिशानिर्देश से भिन्न है या उनसे उक्त कार्य नहीं लिए जा रहें हैं, तो संबंधित जिला वैसे डाटा इंट्री ऑपरेटरों का नियमानुसार सेवा वापस करेंगे।

अत: निदेशानुसार अनुरोध है कि ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 309867 दिनांक 11.05.2017के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन

22/5/18

(राजीव कुमार सिंह)

(5)

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक : 309567
ग्रा०वि०-15 (स्वच्छता)-96/2017

पटना, दिनांक : 11.5.2017

प्रेषक,

बालामुरूगन डी., भा0प्र0 से0,
आयुक्त स्वरोजगार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
बिहार।

विषय : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्कत IMIS पर डाटा अद्यतन करने हेतु संशोधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर दिशा-निर्देश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में कार्यालय के पत्रांक BRLP/LSBA/ESTT-HR/14/17/126 दिनांक 03.03.2017 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारियों के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश की माँग की गयी थी।

कार्यालय पत्रांक 126 दिनांक 03.03.2017 की कंडिका 1 एवं 6 में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के चयन एवं मानदेय से संबंधित निदेश में निम्न संशोधन किये जाते हैं।

कंडिका - 1 : सभी जिलों द्वारा वास्तविक प्रगति एवं IMIS पर परिलक्षित प्रगति के मद्दे नजर आवश्यकतानुसार डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को जिले के बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के इम्पैनल सूची से आरक्षण का अक्षरशः अनुपालन करते हुए रखा जायेगा।

कंडिका – 6 : इम्पैनल सूची में उपलब्ध डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा तथा यह पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों द्वारा IMIS/LSBA/PFMS से संबंधित सभी प्रकार की सूचना अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा। प्रत्येक डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों द्वारा न्यूनतम 800 डाटा प्रतिमाह अद्यतन किया जायेगा तथा इसकी सतत् निगरानी एवं पर्यवेक्षण जिला समन्वयक द्वारा किया जायेगा। यदि जिला में डाटा इन्ट्री के कार्य की अधिकता होती है तो निर्वाचन कार्य के लिए डाटा इन्ट्री हेतु निर्धारित दर पर DWSC द्वारा आउट सोर्सिंग से डाटा इन्ट्री का कार्य निष्पादित कराया जा सकता है।

उपरोक्त ऑपरेटरों से 6 माह या अधिकतम 11 माह के लिए एकरारनामा किया जायेगा तथा एकरारनामे का नवीकरण कार्य की उपलब्धता एवं ऑपरेटर के कार्य प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर DWSC द्वारा किया जायेगा।

कार्यालय के पत्रांक 126 दिनांक 03.03.2017 को परोक्त बिन्दुओं तक संशोधित समझा जाये।

विश्वासभाजन,

(बालामुरूगन डी.)
आयुक्त स्वरोजगार

ज्ञापांक __________

पटना, दिनांक :

(5)

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

...रोड, पटना–800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

BRLPS/LSBA/Estt.-81/17/126 दिनांक: 03.03.2017

प्रेषक,

बालामुरूगन डी., भा०प्र० से०,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,

जिला जल एवं स्वच्छता समिति।

विषय : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत IMIS पर डाटा अद्यतन करने हेतु डाटाइन्ट्री ऑपरेटर के संबंध में।

महाशय,

विदित है कि बिहार सरकार के सात निश्चयों में "शौचालय निर्माण घर का सम्मान" को सम्मिलित किया गया है तथा राज्य को 02 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

उपरोक्त लक्ष्य के अनुरूप सभी जिलों में खुले में शौच से मुक्त अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान के क्रम में वैयक्तिक शौचालय निर्माण एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किए जाने के उपरान्त संबंधित सूचना को भारत सरकार के IMIS पर भी अद्यतन किया जाना है। भारत सरकार द्वारा IMIS पर उपलब्ध सूचना के आधार पर समीक्षा की जाती है। अत: यह आवश्यक है कि जिले द्वारा किए गए कार्यों को IMIS पर भी अद्यतन किया जाय।

राज्य स्तर पर समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि अधिकांश जिलों में प्रतिदिन IMIS पर सूचना अद्यतन की संख्या काफी कम है जबकि सभी जिला समन्यकों एवं सभी जिले के एक से अधिक डाटाइन्ट्री ऑपरेटरों को IMIS पर सूचना अद्यतन करने से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा चुका है। समीक्षा में यह भी पाया गया है कि कई जिलों में डाटाइन्ट्री ऑपरेटरों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद भी IMIS पर प्रगति अपेक्षित नहीं है। साथ ही सभी जिलों में डाटाइन्ट्री ऑपरेटरों / Executive Assistant की संख्या एवं मानदेय में भी समानता नहीं पायी गयी है।

अत: IMIS में अपेक्षित प्रगति लाने एवं सूचना अद्यतन करने हेतु निम्न दिशानिर्देश दिए जा रहे हैं :-

(3)

1. सभी जिलों द्वारा वास्तविक प्रगति एवं IMIS पर परिलक्षित प्रगति के मद्दे नजर आवश्यकतानुसार डाटाइन्ट्री ऑपरेटरों को जिला में इम्पैनल सूची (बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन या डी०आर०सी०सी० हेतु) या बेल्ट्रौन के माध्यम से आरक्षण का अक्षरश: अनुपालन करते हुए करते हुए रखा जायेगा।
2. वर्तमान में प्रत्येक प्रखण्ड एवं जिला में एक डाटाइन्ट्री आपरेटर को रखने हेतु विभागीय दिशा-निर्देश (पत्रांक 68 सी० दिनांक 05.08.2016) निर्गत है। उदारणस्वरूप किसी जिले में 11 प्रखण्ड हैं तो उक्त जिले में DWSC द्वारा कुल 12 (प्रत्येक प्रखण्ड हेतु एक एवं जिला हेतु एक) डाटाइन्ट्री ऑपरेटरों को रखा जा सकता है। परन्तु संबंधित DWSC यह निर्णय ले सकता है कि विभिन्न प्रखण्डों में उपलब्ध डाटा (IMIS में अद्यतन हेतु) या वर्तमान में चल रहे कार्य का आलकन कर आवश्यकतानुसार डाटाइन्ट्री ऑपरेटर रखा जाय परन्तु यह संख्या किसी भी परिस्थिति में 12 से अत्यधिक डाटाइन्ट्री ऑपरेटर नहीं होंगे।
3. IMIS एवं LSBA के कार्य हेतु रखे गये डाटाइन्ट्री ऑपरेटर के प्रशिक्षण, अनुश्रवण एवं कार्यों की समीक्षा हेतु जिला समन्वयक नोडल पदाधिकारी होंगे तथा जिला समन्वयक सभी डाटाइन्ट्री ऑपरेटर के प्रतिवेदी पदाधिकारी रहेंगे।
4. जिला समन्वयक दैनिक एवं साप्ताहिक रूप से सभी डाटाइन्ट्री ऑपरेटरों के कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेंगे तथा अनउपयुक्त डाटाइन्ट्री ऑपरेटर को कार्य मुक्त करने या अत्यधिक कार्य के आलोक में डाटाइन्ट्री ऑपरेटरों के कार्य स्थल के बदलाव की अनुशंसा जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त को करेंगे।
5. IMIS/LSBA पर सूचना अद्यतन किए जाने हेतु डाटाइन्ट्री ऑपरेटरों को प्रखण्ड, अनुमण्डल या जिला स्तर पर रखकर सूचना अद्यतन किए जाने से संबंधित निर्णय जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा लिया जा सकता है।
6. पीएचइडी विभाग के पत्रांक 535 दिनांक 03.12.2007 द्वारा डाटाइन्ट्री ऑपरेटरों का मानदेय 8000/- रूपये प्रतिमाह तथा पीएचइडी के एपेक्स कमिटी (पत्रांक 972 दिनांक 31.08.2015 द्वारा 10,000/- रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया था। उपरोक्त के आलोक में वर्त्तमान में IMIS/LSBA में सूचना अद्यतन करने हेतु रखे गए डाटाइन्ट्री ऑपरोटरों का मासिक भुगतान 10,000/- रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाता है, तथा एक डाटाइन्ट्री ऑपरेटर को न्यूनतम 3000 सूचनाएँ प्रतिमाह IMIS/LSBA पर अद्यतन करना आवश्यक होगा। उक्त पारिश्रमिक भुगतान SBM- G के कर्णांकित राशि (Admin) से किया जाना है।
7. प्रखण्ड स्तर पर कार्यरत डाटाइन्ट्री ऑपरेटरों का पारिश्रमिक भुगतान प्रखण्ड समन्वयक की अनुशंसा के उपरांत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा जिला स्तर पर कार्यरत डाटाइन्ट्री ऑपरेटर का पारिश्रमिक भुगतान जिला समन्वयक के अनुशंसा के आलोक में उप विकास आयुक्त/निदेशक लेखा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

यदि कुछ जिलों में IMIS/LSBA के कार्य हेतु प्रतिनियुक्त कार्यरत डाटाइन्ट्री ऑपरेटरों की संख्या या पारिश्रमिक उपरोक्त दिए गए दिशानिर्देश से भिन्न है या उनसे उक्त कार्य नहीं लिए जा रहे हैं, तो संबंधित जिला वैसे डाटाइन्ट्री ऑपरेटरों का नियमानुसार सेवा वापस करेंगे।

अनुरोध है कि उपरोक्त दिए गए दिशा-निर्देश के आलोक में आवश्यक अग्रत्तर कार्रवाई करते हुए IMIS पर अपेक्षित प्रगति लाएँगे।

विश्वासभाजन,

03/03/17

(बालामुरूगन डी.)

क : BRLPS/LSBA/Estt-HR/14/17/126 दिनांक : 03.03.2017

लेपि – सभी उपविकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष/सभी निदेशक लेखा-सह-सचिव, सभी जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति एवं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/17

(बालामुरूगन डी.)

ांक : BRLPS/LSBA/Estt-HR/14/17/126 दिनांक : 03.03.2017

लिपि – सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ समर्पित।

03/17

(बालामुरूगन डी.)